न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला अलवर (राज0)

अध्याशितः— श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

उनवानी :— आसमोहम्मद बनाम लेखराम

दावा सं0 127/19

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट0

प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 जा0दी0

उपस्थितिः— श्री जर्नाधन शर्मा वकील प्रार्थी की ओर से

2.श्री अनिल गोयल वकील अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

16.3.2022

प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः—

वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की दावा दायरी के समय कुछ तथ्य सहवन से लिखने से रह गये। तथा विवादित आराजी की जमाबंदी का अवलोकन करने पर वादीगण को जानकारी हुई है। कि कुछ मृतक व्यक्तियों के विरूद्व दावा दायर कर दिया गया है तथा कुछ पक्षकारान के नाम वाद में दर्ज नही किये है। तथा खसरा नम्बर सहबन से गलत दर्ज कर दिये गये है। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा डिफेक्टिव है। इसलिए वादीगण मौजूदा दावा का विड्रा कराकर नये सिरे से दावा अदालत श्रीमान में दायर करना चाहते है। इसलिए वादीगण को दावा विड्रा करने व नये सिरे से वाद प्रस्तुत करने की

इजाजत के लिए यह प्रार्थना पत्र बिना किसी देरी अदालत श्रीमान मे पेश किया जा जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद विड्रा कर नये सिरे से वाद दायर करने की इजाजत प्रदान की जावे, तथा वाद के साथ संलग्न मूल दस्तावेजात वापिस दिलाये जावे।

वकील प्रतीवादी ने प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर निवेदन किया कि मृतक व्यक्तियो के विरूद्व दावा दायर करने तथा कुछ पक्षकारान के नाम वाद को डिफेक्टिव मानते हुये नया वाद प्रस्तुत करने की इजाजत के साथ वाद पत्र विड्रा कराने हेतु पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त तथ्यो के उपचार दीवानी प्रकिया सहिंता में है। उक्त आराजी पर वादपत्र को डिफेक्टिव नही माना जा सकता। जिसके कानूनन इस अनुमति के साथ कि नया वाद प्रस्तुत करें। विड्रा करने की अनुमति नही दी जासकेगी । वादीगण चाहे तो अपना वाद बिना नये सिरे से वाद प्रस्तुत करने अपने वाद को जरिये विड्रा खारिज करा सकता

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

है। अतः जवाब प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा हम वादीगण को बतोर हर्जाना 20,000रू दिलाया जावे।

वकील पक्षकारान की बहस सनी गई । वकील वादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र 23(3) जा0दी0 स्वीकार कर दावा विड्रा करने एवं नये सिरे से वाद प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावें, वकील प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वाद को डिफेक्टिव मानते हुए नया वाद प्रस्तुत करने की इजाजत के साथ वाद पत्र विड्रा कराने हेतू आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त तथ्यो के उपचार दीवानी प्रकिया संहिता मे उक्त आधारो पर वादपत्र डिफेक्टिव नही माना जावेगा । दावा विड्रा तो किया जा सकता है लेकिन नया वाद पेश करने की अनुमति नही दी जा सकती इसलिए वादी का प्रार्थना पत्र खारिज कर वाद विड्रा किया जावे।

हमने वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के अवलोकन सें से प्रतीत होता है कि वादी दावा लाने को हकदार नही क्योंकि,

इस संबंध में वादी ने उसके वाद पत्र में कहकर आया है कि आराजी मुतनाजा गत ख0न0 293 रकबा 3 बीघा , 293 मिन रकबा 3 बीघा हाल आराजी ख0न0 362 रकबा 3 बीघा, 363 रकबा 3 बीघा का 1/2 हिस्सा स्थित वाके ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर विवादित आराजी का अभिलिखित काबिज काश्तकार गैरखातेदार हम वादीगण का दादा समैला पुत्र श्री हुसैनी जाति मेव निवासी किशनगढबास था लेकिन प्रतिवादीगण के पिता व दादा देवीसहाय उर्फ झण्डु पुत्र श्री पीरू जाति माली निवासीग ग्राम किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान नें गलत तथ्य जाहिर करते हुए राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगती से अपने नाम पटटा सं0 35 पुर्न0 16(112) दिनांक 20.6. 1981 को प्राप्त कर लिया तथा इंतकाल खातेदारी सं0 263 दिनांक 28.06.1981 को तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान से अपने नाम खुलवा लिया।

वादी का यह कथन है कि जमाबंदी संवत 2002 से 2018 व संवत् 2032 में उसके दादा समैला पुत्र हुसैनी का नाम गैरखातेदार अंकित है परन्तु पटटा हासिल कर प्रतिवादीगण ने खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये इस बाबत वादी को पटटे के संबध में सक्ष्म न्यायालय में उज्र/अपील पेश करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नही करके उसने यह वाद इस न्यायलय में पेश किया है। जो इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तथा वादी द्वारा मरे हुए व्यक्तियो के विरूद्व दावा पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

अतः आदेश है कि:–

वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 नियम 3 जा0दी0 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाकर वाद वादी विड्रो किया जाता है। तथा वादी को नये सिरे से वाद दायर /पेश करने की इजाजत नही दी जाती है।

अतः वाद वादी नम्बर से कम होकर बाद आवश्यक कार्यवाही प्रविष्ट लेख भण्डार हो। निर्णय सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)